प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 13.04.2021 (थाना हथिगवां)

नकली मिलावटी सीमेन्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश
विभिन्न कम्पनियों की 569 बोरी अवैध मिलावटी सीमेंट व अन्य सामान बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री आकाश तोमर के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष हथिगवां श्री दूधनाथ सिंह यादव मय हमराह व प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 श्री प्रमोद सिंह मय स्वाट टीम प्रतापगढ़ को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थानाक्षेत्र हथिगवां के बछरौली में एक व्यक्ति इम्तियाज अपने खण्डहर वाले घर में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मिलावटी सीमेन्ट का कारोबार बड़े पैमाने पर करता है। इस सूचना पर उक्त पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र हथिगवां के बछरौली में स्थित इम्तियाज के खण्डहर वाले घर पर दबिश दी गई तो वहां से 01 अभियुक्त इम्तियाज को गिरफ्तार किया गया जबकि मौके से 01 व्यक्ति पिन्टू नाई फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर मुन्ना नाई के घर पर भी दबिश दी गई तो मुन्ना नाई भी पुलिस टीम को देखकर फरार हो गया। अभियुक्त इम्तियाज की निशानदेही पर भारी मात्रा में अवैध निर्मित मिलावटी सीमेन्ट व मिलावटी सीमेन्ट तैयार करने में प्रयोग किये जाने वाले उपकरण इलेक्ट्रानिक कांटा, कीप, स्टील प्लेट, फावड़ा आदि बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

01 मु0अ0सं0 55/21 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि, 135 व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम व 63/66 कापीराईट एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. इम्तियाज पुत्र मो0 इस्माइल नि0 बछरौली थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

फरार/प्रकाश में आये अभियुक्तों का विवरण–

01. मुन्ना नाई पुत्र नईम नि0 बछरौली थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
02. पिन्टू नाई पुत्र अज्ञात नि0 पुराना कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
03. शेबू उर्फ शाबिर पुत्र शौकत अली नि0 जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
04. शौकत अली पुत्र स्व0 अहमद अली नि0 जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. 569 बोरी अधभरी अवैध मिलावटी सीमेन्ट (विभिन्न कम्पनियों की)।
02. 04–05 क्विंटल तैयार मिलावटी सीमेन्ट का खुला ढ़ेर।
03. 255 खाली बोरियां अल्ट्राटेक सीमेन्ट छपी हुई।
04. 100 खाली बोरियां जेपी सीमेन्ट छपी हुई।
05. 100 खाली बोरियां एमपी बिरला सम्राट सीमेन्ट छपी हुई।
06. 208 खाली बोरियां परफेक्ट सीमेन्ट छपी हुई।
07. 02 अदद इलेक्ट्रानिक कांटा।
08. 03 अदद टीन की कीप।
09. 03 अदद स्टील प्लेट।
10. 03 अदद फावड़ा।

11. 01 अदद जाली।
12. 01 अदद तिरपाल।
13. 01 अदद लोहे की सीढ़ी।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

गिरफ्तार अभियुक्त इम्तियाज ने पूछताछ में बताया कि मौके से जो फरार हो गया वह हमारा साथी पिन्टू नाई था। मै, मुन्ना नाई पुत्र नईम, पिन्टू नाई पुत्र अज्ञात, शौकत अली पुत्र स्व0 अहमद अली व शेबू उर्फ शाबिर पुत्र शौकत अली के साथ मिलकर यह मिलावटी सीमेन्ट का कारोबार करते हैं। हम सब लोग मिलकर बरेली से आने वाली सीमेन्ट कम्पनी के कैप्सूल ट्रकों के ड्राइवरों से साठगांठ करके सीमेन्ट खरीदते हैं तथा गांव में अपने व मुन्ना नाई के घर के पीछे गड्ढ़े में मिलावटी सीमेन्ट तैयार करते हैं और अलग–अलग कम्पनियों की सीमेन्ट की बोरियों में भरकर बेंचते हैं।

<u>पुलिस टीम–</u>

- थानाध्यक्ष श्री दूधनाथ सिंह यादव, उ0नि0 राजेश कुमार, मु0आरक्षी राजानाती, मु0आरक्षी दुर्गा प्रसाद पाण्डेय, आरक्षी संतोष यादव, आरक्षी कविता सिंह, आरक्षी विजय कुमार, आरक्षी अंकित, आरक्षी विपिन कन्नौजिया, म0आरक्षी अन्नू तिवारी व म0आरक्षी प्रतीक्षा कुमारी थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

- प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 श्री प्रमोद सिंह, मु0आरक्षी जाहिद खान, मु0आरक्षी महेन्द्र प्रताप, आरक्षी राजेन्द्र गुप्ता व आरक्षी चालक राजेन्द्र प्रसाद स्वाट टीम प्रतापगढ़।

<u>प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 13.04.2021 (थाना मानिकपुर)</u>

नकली मिलावटी सीमेन्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश
विभिन्न कम्पनियों की 385 बोरी अवैध मिलावटी सीमेंट बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री आकाश तोमर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाष कुमार यादव मय हमराह व स्वाट टीम प्रतापगढ़ को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थानाक्षेत्र मानिकपुर के जाखामई में शौकत अली द्वारा अपने लड़के शेबू उर्फ शाबिर व कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने ही घर में मिट्टी व राख को मिलाकर नकली सीमेन्ट तैयार की जाती है। इस सूचना पर उक्त पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र मानिकपुर के जाखामई में शौकत अली के घर पर दबिश दी गई तो वहां से 01 अभियुक्त शेबू उर्फ शाबिर को गिरफ्तार किया गया जबकि शौकत अली मौके से फरार हो गया। मौके से गिरफ्तार अभियुक्तं की निशानदेही पर 26 बोरी अल्ट्राटेक सीमेन्ट, 14 बोरी परफेक्ट प्लस सीमेन्ट, 345 बोरी अधभरी अवैध मिलावटी सीमेन्ट तथा सीमेन्ट मिलावट में प्रयोग किये जाने वाले एक अदद टीन का चोंगा व एक अदद सीमेन्ट छानने वाली जाली आदि बरामद किया गया।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01 मु0अ0सं0 84/21 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि व 135 व्यापार और माल चिन्ह अधिनियम।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–</u>

01. शेबू उर्फ शाबिर पुत्र शौकत अली नि0 जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

<u>फरार/प्रकाश में आये अभियुक्तों का विवरण–</u>

01. शौकत अली पुत्र स्व0 अहमद अली नि0 जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
02. इम्तियाज पुत्र मो0 इस्माइल नि0 बछरौली थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
03. मुन्ना नाई पुत्र नईम नि0 बछरौली थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
04. पिन्टू नाई पुत्र अज्ञात नि0 पुराना कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी–</u>

01. 385 बोरी भरी/अधभरी अवैध मिलावटी सीमेन्ट (विभिन्न कम्पनियों की)।
02. सीमेन्ट मिलावट में प्रयोग किये जाने वाले एक अदद टीन का चोंगा व एक अदद सीमेन्ट छानने वाली जाली।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

गिरफ्तार अभियुक्त शेबू उर्फ शाबिर ने पूछताछ में बताया कि मौके से जो फरार हो गया उनका नाम शौकत अली है, जो कि मेरे पिता है। मै, मेरे पिता व इम्तियाज पुत्र मो0 इस्माइल, मुन्ना नाई पुत्र नईम, पिन्टू नाई पुत्र अज्ञात के द्वारा अपने लाभ हेतु सीमेन्ट में राख व मिट्टी मिलाकर विभिन्न कम्पनियों की प्रिन्टेड बोरियों में चोंगा से भरकर नकली व मिलावटी सीमेन्ट तैयार कर बेंच दी जाती है। हमने काफी माल तैयार कर लिया था जिसे हम लोग बेंचने वाले थे कि आप लोगों के द्वारा पकड़ लिए गये।

<u>पुलिस टीम–</u>

- प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष कुमार यादव, व0उ0नि0 श्री नन्हेलाल यादव, आरक्षी आशीष कुमार, आरक्षी प्रवीन कुमार रावत, आरक्षी वीरपाल, आरक्षी दीपक राजभर, म0आरक्षी टीनू व म0आरक्षी शबनम चौहान थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
- स्वाट टीम के मु0आरक्षी तहसीलदार तिवारी, मु0आरक्षी पंकज दुबे, आरक्षी राजेन्द्र, आरक्षी अरविन्द दुबे व आरक्षी जागीर सिंह स्वाट टीम प्रतापगढ़।